आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 44/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिस नम्बर 27, बीकेसी, सी–27, जी ब्लाक बांद्रा कुर्ला काम्पलैक्स बांद्रा ई मुम्बई।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. रामलाल गुर्जर पुत्र श्री भरताराम गुर्जर,
2. सुमित्रा रामलाल गुर्जर,
   निवासी ढेकला जयपुर बस स्टेण्ड जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :– श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 19.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि फुलर्टन इण्डिया होम फाईनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.05.2019 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमति सुमित्रा देवी के स्वामित्त्व की सम्पत्ति स्थित प्लाट पट्टा नम्बर 15 ग्राम ढेकला, ग्राम पंचायत ताला, पंचायत समिति जमवारामगढ जयपुर कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग गज को बंधक रखकर 5,77,991/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.11.2022 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये। फुलर्टन इण्डिया होम फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा उक्त नोटिस की दो दैनिक अखबारों सीमा संदेश व ईकोनोमिक टाईम्स में भी प्रकाशित करवाया गया। तदुपरान्त उक्त ऋण फुलर्टन इण्डिया होम फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा दिनांक 28.03.2023 को प्रार्थी बैंक को असाईन कर दिया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आव यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 5,77,991/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 5,22,298/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.11.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमति सुमित्रा देवी के स्वामित्त्व की बंधक सम्पत्ति स्थित प्लॉट पट्टा नम्बर 15 ग्राम ढेकला, ग्राम पंचायत ताला, पंचायत समिति जमवारामगढ जयपुर कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग गज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 19.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)